(५)

प्रकरण संख्या : 54/2022
विजयलक्ष्मी वगै. बनाम राजस्थान सरकार वगै.
निर्णय दिनांक : 02.06.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	संजय कुमार गौरा, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	54/2022
दायर दिनांक	:	29.09.2022
निर्णय दिनांक	:	02.06.2023

उनवान

1. विजयलक्ष्मी पत्नी जगदीश नारायण जाति महाजन, निवासी 401 गोविन्दरावजी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर
2. सरोज पत्नी अशोक कुमार गुप्ता जाति महाजन, निवासी मानगंज दौसा तहसील व जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिये अधीक्षण अभियन्ता दौसा जिला दौसा
3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक एचएच 21 परियोजना, कार्यालय रावत पैलेस के पास दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 252/390 रकबा 0.16 है. वाके ग्राम बीचलवास तहसील दौसा में स्थित है। ग्राम बीचलवास तहसील दौसा स्थित साबिक खसरा नम्बर 20/33 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा आवंटन आदेश दिनांक 25.04.1972 को श्रीमती शान्ति देवी पत्नी रामचरण जाति ब्राह्मण को आवंटन की गई। दौराने सैटलमेन्ट उक्त आवंटन शुदा भूमि साबिक खसरा नम्बर 20/33/83 के हाल खसरा नम्बर 252/340 रकबा 0.66 है. बनाये गये। उक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 20/33/83 में से 1 बीघा 19 बिस्वा अर्थात् 0.49 है. भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के लिए अवाप्त की गयी तथा 0.17 है. भूमि शेष रही। उक्त शेष रही 0.17 है. भूमि में से 0.16 है. भूमि खातेदार शान्ति देवी पत्नी रामचरण शर्मा द्वारा श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नी जगदीश नारायण गुप्ता एवं श्रीमती सरोज पत्नी अशोक कुमार गुप्ता को जरिये पंजीकरण विलेख दिनांक 23.04.1992 को किया गया। तब से उक्त भूमि का नामान्तकरण प्रार्थीगण के हक में हो चुका है तथा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज हो चुकी है। अवाप्त हुयी भूमि का मुआवजा राशि खातेदार श्रीमती शान्ति देवी के द्वारा प्राप्त कर ली गयी। भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त दौसा द्वारा उक्त भूमि के संबंध में अवार्ड 05.01.1994 को पारित किया गया। परन्तु खसरा नम्बर 252/340 रकबा 0.49 है. भूमि का नामान्तकरण नहीं खुला है और ना ही अवाप्ति के आधार पर हाल नक्शा शीट में तरमीम की गयी है तथा उक्त भूमि अभी भी अवाप्ति के पश्चात् भी मूल खातेदार श्रीमती शान्ति देवी पत्नी रामचरण शर्मा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 252/390 रकबा 0.16 है. को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है, जो पीडब्ल्यूडी के जवाब अनुसार भी एनएच के दोनों ओर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि स्थित है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार दौसा द्वारा अवाप्तशुदा भूमि एवं प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की तरमीम मौके के अनुसार नहीं की गयी है, बल्कि बिना किसी आदेश अवैधानिक तरीके से गैर कानूनी तौर पर हाल नक्शा शीट में गलत तरमीम कर दी है, जिसका कि अप्रार्थी को

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

किसी प्रकार का कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसी तरमीम प्रभावशून्य एवं निरस्तनीय है। खसरा नम्बर 252/340 रकबा 0.49 है॰ का नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या 2 के हक में खोला जाकर मौके के अनुरूप तरमीम किये जाने हेतु कई बार निवेदन किया गया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आज दिन तक भी अप्रार्थी संख्या 2 के हक में अवाप्तशुदा भूमि का नामान्तकरण नहीं खोला गया, जिससे प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 252/390 रकबा 0.16 है॰ की भी तरमीम राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में नहीं हो पाई है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बीचलवास तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 252/340 रकबा 0.49 है॰ का नामान्तकरण प्रार्थी संख्या 2 के हक में खोला जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में मौके के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 252/390 रकबा 0.16 है॰ भूमि एवं पीडब्ल्यूडी के हक में अवाप्तशुदा भूमि की तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में किये जाने के आदेश करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सरकारी उपक्रम का भाग है, जिसकी भूमि राष्ट्रीय हित में उपयोग उपभोग की जाती है, की सीमाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, ना ही किसी अन्य खातेदारों द्वारा कोई हस्तक्षेप हो के आदेश देने तथा प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अप्रार्थी संख्या 3 की हद तक निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम बीचलवास स्थित भूमि साबिक खसरा नम्बर 20/33/83 का हाल खसरा नम्बर 252/340 रकबा 0.66 है॰ मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड शान्ति देवी पत्नी रामचरण ब्राह्मण के नाम दर्ज थी, जिसमें से विजयलक्ष्मी पत्नी जगदीश नारायण हिस्सा 5/16, सरोज पत्नी अशोक कुमार हिस्सा 11/16 जाति महाजन ने जरिये विक्रय पत्र 0.16 है॰ भूमि क्रय की गयी, जिसका रिकॉर्ड में अमल–दरामद होकर हाल खसरा नम्बर 252/390 रकबा 0.16 है॰ वादीगणों के नाम दर्ज है। भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त दौसा द्वारा खसरा नम्बर 252/340 रकबा 0.66 है॰ में से 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि दिनांक 05.01.1994 को दौसा बाईपास हेतु अवाप्त की गई, जिसका साबिक खसरा नम्बर 20/33/82 था। रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु प्राप्त अवार्ड एवं एलएपी के अनुसार सेग्रीगेशन नक्शें में तरमीम कार्य किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त एलएपी एवं अवार्ड में दर्ज रकबे में अन्तर होने से अवाप्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में 0.49 है॰ भूमि का अमल दरामद किया जाना शेष है। यह सही है कि वादीगणों के नाम दर्ज खसरा नम्बर 252/390 रकबा 0.16 है॰ भूमि नक्शे में तरमीम के अनुसार उपलब्ध नहीं है। मुताबिक हाल नक्शा शीट के 0.08 है॰ भूमि ही बनती है, जबकि वादीगणों को 0.08 है॰ भूमि और चाहिए एवं 0.01 है॰ भूमि मूल खातेदार की शेष होनी चाहिए, जो एलएपी के अनुसार नहीं है जिस कारण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के जवाब लिया जाना न्यायोचित है। वादीगण की 0.16 है॰ भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी में दर्ज है लेकिन सेग्रीगेशन में हाल नक्शा शीट में गलत तरमीम हो जाने के कारण कम हुयी है। उक्त हाल नक्शा शीट में तरमीम को सही किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण की 0.16 है॰ भूमि को जवाब के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 252/390 रकबा 0.16 है॰ भूमि का हाल नक्शा शीट में तरमीम को न्यायालय के आदेशों के अनुसार किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा हाल नक्शा शीट में तरमीम को दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने के पश्चात् दुरुस्त किया जा सकेगा। जवाब के साथ संलग्न नजरी नक्शे में हरूफ हरी स्याही से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को दर्शित किया गया है। ग्राम बीचलवास में भूमि आराजी खसरा नम्बर 252/340 रकबा 0.50 है॰ व खसरा नम्बर 252/390 रकबा 0.16 है॰ कुल किता 2 कुल रकबा 0.66 है॰ स्थित है, जिसमें से खसरा नम्बर 252/340 रकबा 0.49 है॰ सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एनएच–11 हेतु अवाप्त की गयी है जिसका मुआवजा भी खातेदारान द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तथा उक्त भूमि पर एनएच 11 का निर्माण हो चुका है। परन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग में अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 252/340 रकबा 0.49 है॰ का पीडब्ल्यूडी के हक में नामान्तकरण भी अभी नहीं खोला है और नही अवाप्ति के आधार पर हाल नक्शा शीट में तरमीम की गयी है तथा खसरा नम्बर

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

252/390 रकबा 0.16 है. भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जो तरमीम हुयी है वह मौके व रिकॉर्ड के विपरीत है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से ग्राम बीचलवास तहसील दौसा स्थित भूमि खसरा नम्बर 252/340 रकबा 0.49 है. का नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या 2 सार्वजनिक निर्माण विभाग के हक में खोला जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में मौके के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 252/390 रकबा 0.16 है. भूमि एवं पीडब्ल्यूडी के हक में अवाप्तशुदा भूमि की तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु निवेदन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण) का कथन है कि उक्त भूमि राष्ट्रीय हित की है, जिसकी सीमाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने का निवेदन किया है। भूमिधारी (तहसीलदार, दौसा) की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थीगण की 0.16 है. भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी में दर्ज है लेकिन सेग्रीगेशन में हाल नक्शा शीट में गलत तरमीम हो जाने के कारण हाल नक्शे के अनुसार नक्शे में 0.08 है. भूमि ही है परन्तु मौके पर प्रार्थीगण की 0.16 है. भूमि है। इस प्रकार प्रार्थीगण की 0.16 है. भूमि सेग्रीगेशन में हाल नक्शा शीट में गलत तरमीम होने से भूमि कम होना अवगत कराया है। खसरा नम्बर 252/340 रकबा 0.49 है. भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एनएच–11 हेतु अवाप्त किया जाना एवं उसका मुआवजा भी खातेदारान द्वारा प्राप्त कर लेना तथा उक्त भूमि पर एनएच–11 का निर्माण होना अवगत कराया है। प्रार्थीगण की हाल नक्शा शीट में गलत तरमीम होने को सही किया जाना तहसीलदार दौसा ने न्यायोचित माना है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह तथ्य सामने आया है कि ग्राम बीचलवास के साबिक खसरा नम्बर 20/33/83 में से 1 बीघा 19 बिस्वा (0.49 है.) सार्वजनिक निर्माण विभाग (रोड) हेतु अवाप्त की गयी थी, जो साबिक खसरा नम्बर से अवाप्त हुयी थी। भू–प्रबन्ध कार्यवाही उपरान्त उपरोक्त साबिक खसरा नम्बर का हाल खसरा नम्बर 252/340 रकबा 0.50 है. शान्ती पत्नी रामचरण के नाम एवं 252/390 रकबा 0.16 है. प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अवाप्तशुदा भूमि रकबा 0.49 है. का सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम बीचलवास तहसील दौसा स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 252/340 व 252/390 में से अवाप्तशुदा भूमि रकबा 0.49 है. की तरमीम सार्वजनिक निर्माण विभाग/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम करें तथा शेष भूमि में से 0.16 है. भूमि की तरमीम प्रार्थीगण के नाम करें। तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)